Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of March and April, 2020.

Various proactive measures have been taken by MHA and in my capacity as Chairperson, National Executive Committee (NEC), to deal with the situation arising out due to outbreak of COVID-19 in the country. Some of these measures are delineated as under:

i. To enable Secretary. Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) for taking effective measures for containment of COV1D-19. on 11.3.2020, Chairperson, National Executive Committee (NFC). delegated power under Disaster Management (DM) Act, 2005 to Secretary. MoHFW to enhance the preparedness and containment of COVID-19 and other ancillary matters connected thereto.

ii. On 14.03.2020, with a view to augment the availability of funds with the State Governments. COVID- 19 was declared as notified disaster by Central Government for the purpose of providing assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) placed at the disposal of respective State Governments.

iii. National Disaster Management Authority (NDMA) vide order dated 24.03.2020, after assessing the threatening situation of spreading of COVID-19 in the country and in exercise of its powers under section 6(2) (i) of the Disaster Management Act, 2005. directed the NEC to issue necessary guidelines to the Ministries/ Departments of Government of India, State Governments and State Authorities to take measures for ensuring social distancing.

iv. In compliance of NDMA's aforesaid Order, Chairperson, NEC issued an Order dated 24th March, 2020 under DM Act, 2005 along with the guidelines on the measures to be taken by the Ministries/ Departments of Government of India, States/ UTs Governments and State/ UTs Authorities for containment of COVID-I9 Epidemic in the country. Vide this Order lockdown measures were implemented in the country for a period of 21 days with effect from 25th March, 2020.

v. Further, for ensuring smooth supply of essential goods in all parts of the country, a detailed Standard Operating Procedure (SOP) was issued by MHA on 26.03.2020 to all State,' UT Governments. In the SOP, detailed procedure was laid down to ensure hassle free movement of essential goods and all facilities in their supply chain involved in manufacturing, wholesale or retail of such goods through local stores, e-Commerce companies etc. after ensuring social distancing.

vi. On 28.03.2020. the Central Government allowed the State Governments to use State Disaster Response Fund for providing food and shelter to homeless people including migrant laborers, who were stranded due to lockdown measures.

vii. To deal with the situation and for effective implementation of the lockdown measures, and to mitigate the economic hardship of the migrant workers, an Order was issued on 29.03. 2020 with the directions to the State/ UTs to take additional measures to ensure adequate arrangements of temporary shelters, and provision of food etc. for the poor and needy people. including migrant labourers, stranded due to lockdown measures in their respective areas.

viii. Under the DM Act, 2005, vide order dated 29.3.2020, eleven Empowered Groups of Officers were constituted keeping in view the need for comprehensive action and integrated response to the COVID-19 pandemic.

ix. Addendums dated 25th March. 27th March. 2nd April. 3rd April and 10th April were also issued to allow additional exemptions during lockdown.

x. With a view to make adequate funds available to the State Governments for effective response against COVID-19, as a special dispensation, the 1st installment of Rs. 11,092 crore as Central Share of State Disaster Risk Mitigation Fund (SDRMF) for financial year 2020-21 was released in advance to all States on 03 .04 .2020.

xi. Considering the fact that the social distancing measures need to be extended further to contain the spread of Covid-19, NDMA vide Order dated 14th April, 2020 in exercise of its powers under section 6(2)(i) of the Disaster Management Act, 2005, directed the Ministries/

Departments of Government of India, State Governments and State Authorities to continue the same measures for social distancing up to 03.05.2020.

xii. In compliance of NDMA directions, Order dated 14th April, 2020 under DM Act, 2005 was issued giving directions to all Ministries/Departments of Government of India, States/ UTs Governments and State/ Uts Authorities that lockdown measures stipulated in consolidated guidelines of MHA for containment of COVID-19 epidemic in the country will continue to remain in force up to 03.05.2020.

xiii. Vide Order dated 15th April, 2020 under DM Act, 2005 consolidated revised guidelines was issued. With a view to mitigate the hardship of public, additional activities were allowed w.e.f. 20th April, 2020 outside containment zones. MHA also circulated National Directives for COVID -19 management and a SOP for social distancing for offices, workplaces. Factories and establishments.

xiv. In addition. Clarifications on queries received from various Ministries/ Departments/ States/ Uts were also issued time to time by this Ministry. To mitigate hardship to the public and also based on the request received various Ministries/ Departments/ States/Uts, selected additional activities were also allowed.

xv. Vide order dated 19.4.2020, 6 Inter-Ministerial Central Teams (IMCTs) were constituted, two each for West Bengal and Maharashtra. And one each for Madhya Pradesh and Rajasthan to make on-spot assessment of situation and issue necessary directions to State Authorities for its redressal and submit their report to Central Government in larger interest of general public.

xvi. MHA vide order dated 29.4.2020 allowed the inter-state movement of migrant workers. pilgrims. tourists, students and other persons stranded at different places as per Standard Operating Protocol laid down in the aforesaid order.

xvii. MHA blacklisted 960 foreigners, presently in India on tourist visas, for their involvement in Tablighi Jamaat activities. MHA has also directed DGPs of all concerned States/UTs and CP. Delhi Police to take necessary legal action against all such violators, on priority, under relevant sections of the Foreigners Act, 1946 and Disaster Management Act, 2005.

2. Further, High Level Committee (HLC) meeting was held under Home Minister on 27.3.2020 to consider the recommendations of SCNEC on damage caused by flood/ landslides/ cyclone, storm and drought in Bihar, Kerala. Karnataka, Maharashtra. Nagaland, Odisha, Rajasthan and West Bengal. HLC approved additional Central assistance of Rs 5.751.27 crore to eight States from National Disaster Response Fund (NDRF) subject to the adjustment of 50% of balances available in the SDRF account as on 1st April of the financial year of 2018-19.

3. Cabinet has approved the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands Land Revenue and Tenancy (Amendment) Regulation, 2020 on 26.02.2020. The amendment regulation has been published in the gazette of India on 18.03.2020. The amendments will allow more economic activities in the Lakshadweep group of islands by enabling transactions of land among islanders in a transparent manner.

4. On 12.03.2020, Hon'ble MoS Shri Nityanand Rai inaugurated online portal of National Cyber Crime Training Centre (www.cytrain.ncrb.gov.in) at NCRB New Delhi.

5. On 02.03.2020, Union Home Secretary held a meeting with the representatives of Government of Andhra Pradesh and Government of Karnataka to resolve the Inter-State Boundary issue in Bellary Reserve Forest: in meeting. both States were advised to cooperate in implementation of the report of Surveyor General of India.

6. An amount of Rs 378.23 crore (approx.) was released under the relevant sub schemes of the umbrella scheme for Modernization of Police Forces during the month of March 2020.

7. 'NOC' has been issued for changing the name of 'Manduadih' Railway Station as 'Banaras' in Varanasi District, Uttar Pradesh.

8. CCTNS software has been deployed at 15,103 out of 16,023 Police Stations across the country, i.e. 94.25%. Around 14,900 Police Stations are entering 100% FIRs through CCTNS.

9. A total of Rs 13.445 crore was released to 3 States /UTs viz., Goa, Odisha and Puducherry for strengthening of DNA analysis. Cyber Forensics and related facilities in their State Forensic Science laboratory under the Nirbhaya Fund in the FY 1920-21.

10. The Government has approved the proposal for setting up of National Forensic Sciences University. The National Forensic Sciences University Bill, 2020 has been introduced in the Lok Sabha on 23.03.2020.

11. Ceasefire agreements signed with National Socialist Council of Nagaland (NSCN)/ Neopao Konyak-Kitovi and NSCN/ Reformation have been extended for a period of six months up to 27.10.2020. Ceasefire agreement with NSCN/ K-Khango group has also been extended for a period of six months up to 17.10.2020.

12. Tirap. Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of 4 Police Stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam have been declared as • **Disturbed Area'** under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a further period of six months w.e.f. 1.4.2020 to 30.09.2020.

13. A meeting of the Monitoring Committee to review the implementation status of Memorandum of Settlement (MoS) dated 10.08.2019 signed with NLFT (SD) of Tripura was held under Joint Secretary (NE), MHA on 20.03.2020.

14. First meeting of Joint Monitoring Committee was held on 20.03.2020 for review of progress of implementation of agreement dated 16.01.2020 for resettlement of Bru Migrants in Tripura.

15. During the month of March. more than 1.325 Kg of Narcotic Substances have been seized. Illicit cultivation of Afeem spread over 99.75 acres of land has been destroyed. During the month of April 2020. Narcotics Control Bureau (NCB) seized 60 Kg of Opium, 61,368 tablets of psychotropic drug and 840 bottles of codeine based cough syrup. Two persons were arrested for their involvement in drug trafficking.

****

<u>मार्च और अप्रैल, 2020 में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम तथा प्रमुख कार्यक्रम।</u>

देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तथा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) के अध्यक्ष के रूप में मेरी हैसियत में विभिन्न अतिसक्रिय उपाय किए गए हैं। इन कुछ महत्वपूर्ण उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. कोविड-19 को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी उपाय करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को समर्थ बनाने हेतु दिनांक 11.03.2020 को अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) ने आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को शक्ति प्रत्यायोजित की ताकि कोविड-19 से निपटने की तैयारी और उसे नियंत्रित करने के कार्य तथा उससे संबंधित अन्य सहायक विषयों में तेजी लाई जा सके।

ii. राज्य सरकारों के पास निधियों की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से दिनांक 14.03.2020 को कोविड-19 को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा घोषित किया गया। इसका प्रयोजन संबंधित राज्य सरकारों के जिम्मे दी गई राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत सहायता प्रदान करना था।

iii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने देश में कोविड-19 के प्रसार की भयावह स्थिति का आकलन करने के बाद तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(i) के अंतर्गत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए दिनांक 24.03.2020 के आदेश के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) को निदेश दिया कि वह भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों एवं राज्य प्राधिकरणों को एक-दूसरे के बीच समुचित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करे।

iv. एनडीएमए के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने देश में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 24 मार्च, 2020 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत देश में 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों की अवधि के लिए लॉकडाउन उपाय कार्यान्वित किए गए ।

v. इसके अतिरिक्त, देश के सभी भागों में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने, दिनांक 26.03.2020 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को विस्तृत एसओपी जारी किया। इस एसओपी में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही तथा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के बाद विनिर्माण, स्थानीय स्टोरों, ई-कॉमर्स कंपनियों आदि के माध्यम से ऐसी वस्तुओं की थोक या खुदरा बिक्री में शामिल आपूर्ति चेन में सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई।

vi. केंद्रीय सरकार ने दिनांक 28.03.2020 को राज्य सरकारों को यह अनुमति दी कि वे लॉकडाउन उपायों के कारण फंस गए प्रवासी मजदूरों सहित बेघर लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग करें।

vii. स्थिति से निपटने और लॉकडाउन उपायों के कारगर कार्यान्वयन हेतु तथा प्रवासी मजदूरों की आर्थिक कठिनाई को कम करने के लिए दिनांक 29.03. 2020 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन उपायों के कारण फंस गए प्रवासी मजदूरों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थाई आश्रय तथा भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

viii. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 29.3.2020 के आदेश के तहत, कोविड-19 विश्व महामारी से निपटने के लिए व्यापक और एकीकृत कार्रवाई की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अधिकारियेां के अधिकार प्राप्त समूह गठित किए गए।

ix. लॉकडाउन के दौरान, अतिरिक्त छूट देने के लिए दिनांक 25 मार्च, 27 मार्च, 02 अप्रैल, 03 अप्रैल तथा 10 अप्रैल को एडेंडम भी जारी किए गए।

x. कोविड-19 से निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त निधियां उपलबध कराने के उद्देश्य से, एक विशेष व्यवस्था के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण निधि (एसडीआरएमएफ) के केंद्रीय हिस्से के रूप में 11,092 करोड़ रु. की पहली किस्त अग्रिम रूप में दिनांक 03.04.2020 को सभी राज्यों को जारी की गई।

xi. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग उपायों को आगे और बढ़ाए जाने की जरूरत है, एनडीएमए ने अपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(i) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के आदेश के तहत, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा राज्य प्राधिकरणों को निदेश दिया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन उपायों को दिनांक 03.05.2020 तक जारी रखें।

xii. एनडीएमए के निदेशों के अनुपालन में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 14 अप्रैल, 2020 को आदेश जारी किया गया जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को निदेश दिया गया कि देश में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय के समेकित दिशानिर्देशों में निर्धारित लॉकडाउन उपाय दिनांक 03.05.2020 तक लागू रहेंगे।

xiii. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के आदेश के तहत, समेकित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। लोगों की कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से कंटेनमेंट जोन से बाहर दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से अतिरिक्त कार्यकलापों की अनुमति दी गई। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तथा अधिकारियों, कार्य स्थलों, फैक्टरियों एवं प्रतिष्ठानों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हेतु एसओपी भी परिचालित किया।

xiv. इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रश्नों के बारे में समय-समय पर स्पष्टीकरण भी जारी किए। लोगों की कठिनाई कम करने के लिए तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर चुनिंदा अतिरिक्त कार्यकलापों की भी अनुमति दी गई।

xv. दिनांक 19.4.2020 के आदेश के तहत, 6 अंतर-मंत्रालयी केंदीय दलों का गठन किया गया जिनमें से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए दो-दो दल तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक-एक दल शामिल थे। इनका कार्य स्थिति का मौके पर आंकलन करना तथा समस्या निवारण हेतु राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निदेश जारी करना और जन-साधारण के व्यापक हित में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

xvi. गृह मंत्रालय ने दिनांक 29.4.2020 को उपर्युक्त आदेश में निर्धारित मानक प्रचालन प्रोटोकोल के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने-आने की अनुमति दी।

xvii. गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात के कार्यकलापों में शामिल होने के लिए पर्यटक वीजा पर इस समय भारत में मौजूद 960 विदेशी नागरिको को ब्लैक-लिस्ट किया। गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों तथा दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त को भी निदेश दिया कि वे विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत ऐसे सभी उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

2. इसके अतिरिक्त, बिहार, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में बाढ़/भूस्खलन/चक्रवात, आंधी तथा सूखे के कारण हुई क्षति के बारे में एससीएनईसी की सिफारिशों पर विचार करने हेतु दिनांक 27.03.2020 को गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 8 राज्यों को 5,751.27 करोड़ रु. की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता अनुमोदित की। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन था कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध 50 प्रतिशत शेष राशि का समायोजन किया जाएगा।

3. मंत्रिमंडल ने दिनांक 26.02.2020 को लाकादीव, मिनिकॉय तथा अमिनदीवी द्वीप भू-राजस्व तथा काश्तकारी (संशोधन) विनियम, 2020 को अनुमोदित किया है। यह संशोधन विनियम दिनांक 18.03.2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इन संशोधनों से द्वीपवासियों के बीच पारदर्शी तरीके से भूमि के कारोबार द्वारा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में और अधिक आर्थिक कार्यकलाप संभव हो सकेंगे।

4. माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने दिनांक 12.03.2020 को एनसीआरबी नई दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल (www.cytrain.ncrb.gov.in) का उद्घाटन किया।.

5. केंद्रीय गृह सचिव ने बेलारी सुरक्षित वन में अंतर-राज्य सीमा मुद्दे का निराकरण करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार तथा कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 02.03.2020 को बैठक आयोजित की। इस बैठक में दोनों राज्यों को सलाह दी गई कि वे भारत के महासर्वेक्षक की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में सहयोग करें।

6. पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अंब्रेला स्कीम की सुसंगत उप-स्कीमों के अंतर्गत मार्च, 2020 के दौरान 378.23 करोड़ रु. की राशि (लगभग) जारी की गई।

7. वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में 'मंडुआडीह' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'बनारस' करने के लिए 'एनओसी' जारी किया गया है।

8. पूरे देश में 16,023 पुलिस थानों में से 15,103 पुलिस थानों अर्थात 94.25 प्रतिशत पुलिस थानों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है। लगभग 14,900 पुलिस थाने सीसीटीएनएस के माध्यम से शतप्रतिशत प्राथमिकियों की प्रविष्टि कर रहे हैं।

9. तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात गोवा, ओडिशा और पुद्दुचेरी को उनकी राज्य फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में डीएनए विश्लेषण, साइबर फॉरेंसिक्स तथा संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्भया फंड के अंतर्गत कुल 13.445 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

10. सरकार ने राष्ट्रीय विधिविज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। राष्ट्रीय विधिविज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 दिनांक 23.03.2020 को लोक सभा में पेश किया गया है।

11. नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन)/नीओपाओ कोन्यक-किटोवी तथा एनएससीएन/रिफोर्मेशन के साथ हस्ताक्षर किए गए युद्ध विराम करारों को छह माह की अवधि के लिए दिनांक 27.10.2020 तक बढ़ाया गया है। एनएससीएन/के-खांगो ग्रुप के साथ किए गए युद्ध विराम करार को भी छह माह की अवधि के लिए दिनांक 17.10.2020 तक बढ़ाया गया है।

12. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में 4 पुलिस थानों के अधिकारक्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को दिनांक 1.4.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक छह माह की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

13. त्रिपुरा के एनएलएफटी (एसडी) के साथ हस्ताक्षरित दिनांक 10.08.2019 के समझौता-ज्ञापन के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मॉनिटरिंग समिति की एक बैठक संयुक्त सचिव (एनई), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2020 को आयोजित की गई।

14. त्रिपुरा में ब्रू प्रवासियों को दोबारा बसाने के लिए दिनांक 16.01.2020 के करार के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने हेतु संयुक्त मॉनिटरिंग समिति की पहली बैठक दिनांक 20.03.2020 को आयोजित की गई।

15. मार्च माह के दौरान, 1.325 किलोग्राम से अधिक स्वापक पदार्थों को जब्त किया गया है। अफीम की 99.75 एकड़ भूमि में अवैध खेती को नष्ट किया गया है। अप्रैल, 2020 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 60 किलोग्राम अफीम, मन:प्रभावी ड्रग की 61,368 गोलियां तथा कोडीन आधारित कफ सिरप की 840 बोतलें जब्त कीं। मादक पदार्थ (ड्रग) के दुर्व्यापार में संलिप्तता के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

****